फा.सं.2-2/2014-वा.फा.-अ.सा.

कृषि मंत्रालय
कृषि और सहकारिता विभाग
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

****

कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 05 फरवरी, 2015

विषय: 2015-16 मौसम के लिए कच्चे पटसन की मूल्य नीति- के संबंध में।

भारत सरकार ने 2015-16 मौसम के लिए कच्चे पटसन हेतु मूल्य नीति की घोषणा की है। निर्णय इस प्रकार हैं:-

(i) पूरे देश के लिए 2015-16 मौसम हेतु कच्चे पटसन की टीडीएन 3 (टीडी 5 के समतुल्य) ग्रेड का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2700 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

(ii) कच्चे पटसन की ग्रेडों की संख्या को मौजूदा 8 ग्रेडों (टीडी 1 से टीडी 8) से घटाकर पांच नये ग्रेडों (टीडीएन1 से टीडीएन5) में वर्गीकृत किया गया है। टीडी1 एवं टीडी2 को मिलाकर टीडीएन 1, टीडी3 एवं टीडी 4 को मिलाकर टीडीएन 2 और टीडी 6 एवं टीडी7 को मिलाकर टीडीएन 4 बनाने का निर्णय लिया गया है। नई योजना में टीडी 5, टीडीएन 3 के समतुल्य तथा टीडी 8, टीडीएन 5 के समतुल्य होंगे।

(iii) टीडीएन 1 एवं टीडीएन 2 के लिए प्रिमिया को टीडीएन 3 के परिपेक्ष में क्रमश: 25 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत अधिक रखा जाएगा।

(iv) कच्चे पटसन की अन्य किस्मों और ग्रेडों का सदृश न्यूनतम समर्थन मूल्य, सामान्य बाजार मूल्य भिन्नताओं के अतिरिक्त, कच्चे पटसन की भिन्न-भिन्न ग्रेडों हेतु निर्धारित कुल अंकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाए।

(v) भारतीय पटसन निगम मूल्य समर्थन कार्यों के संपादन हेतु केंद्र सरकार की नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना जारी रखेगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यों में, यदि कोई हानि होती है तो उसकी परिपूर्ति पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।

(vi) सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों तथा दूसरी एजेंसियों द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग की गैर-मूल्य सिफारिशों पर उचित कार्यवाही की जा सकती है।

2. इस संबंध में, मुझे, उक्त निर्णयों के संबंध में इस कार्यालय को सूचित करके तत्काल उचित कार्रवाई करने के लिए आप से अनुरोध करने का निर्देश हुआ है।

शीवा 5/2/2014

(आर० शीवा शंकर)
सहायक निदेशक
दूरभाष 011-23387244

5 का पृष्ठ.....1

1. सचिव,
कपड़ा मंत्रालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली, दूरभाष: 23061769, फैक्स: 2306 3681

2. पटसन आयुक्त,
पटसन आयुक्त का कार्यालय,
कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार,
सी जी ओ कांप्लेक्स, तीसरा एम एस ओ बिल्डींग, चौथा मंजिल डी एफ ब्लॉक,
सेक्टर-1, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700 064
दूरभाष: 033-23376970, फैक्स: 033-23376972/6973/6974

3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारतीय पटसन निगम लिमिटेड,
15 एन नेल्ली सेनगुप्ता सारणी, कोलकाता- 700 087

4. सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,
भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।

5. संयुक्त सचिव (एम & टी प्रभाग),
कृषि मंत्रालय,
कमरा सं. 236, कृषि भवन, नई दिल्ली

6. संयुक्त सचिव (फसल प्रभाग)
कृषि मंत्रालय
कमरा सं. 297 डी, कृषि भवन, नई दिल्ली

शीवा शंकर 6/2/2015

(आर० शीवा शंकर)
सहायक निदेशक

प्रति सूचनार्थ:

1. सचिव, आर्थिक मामले,
आर्थिक मामले विभाग,
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, 130, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

2. सचिव एवं महानिदेशक
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग तथा आई.सी.ए.आर
कृषि भवन, (कमरा सं. 105), नई दिल्ली

सीईओ,
नीति आयोग, नई दिल्ली

4. श्रीमती अनु गर्ग
संयुक्त सचिव,
प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली

5. सदस्य सचिव,
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि भवन, नई दिल्ली

(आर० शीवा शंकर)
सहायक निदेशक

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. श्री अंजनी कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
बिहार सरकार,
मुख्य सचिवालय बिल्डींग, पटना-800015
दूरभाष: 0612-2215804, 2223246
फैक्स: 0612-2217085, 2223983/2234518

2. श्री गोकुल चंद्रा पत्ती,
मुख्य सचिव,
उडीशा सरकार, भुवनेश्वर-751 001
दूरभाष: 0674-2536700, 2534300, फैक्स: 0674-2536660

3. श्री संजय मित्रा,
मुख्य सचिव,
पश्चिम बंगाल सरकार,
राइटर्स बिल्डींग, कोलकाता-700 001
दूरभाष: 033- 22145858, 22144328, फैक्स: 033-22144328

4. श्री जितेश खोसला,
मुख्य सचिव,
असम सरकार
असम सचिवालय, दिसपुर, गोवाहाटी-781 006
दूरभाष: 0361-2261120, 2261403, फैक्स: 0361-2260900

मुख्य सचिव,
त्रिपुरा सरकार,
सचिवालय, अगरतला-799001
दूरभाष: 0381-2413200/2414392, फैक्स: 0381-2324013

6. श्री आई० वाई० आर० कृष्णा राव,
मुख्य सचिव,
आंध्र प्रदेश सरकार,
हैदराबाद-500 002,
दूरभाष: 040-23451088, 23451074, फैक्स: 040-23456137

7. श्री राजीव शर्मा,
मुख्य सचिव,
तेलंगाना सरकार,
सी-ब्लॉक, हैदराबाद-500 002
दूरभाष: 040-23452620, 23455340, फैक्स: 040-23453700

5/2/2015

(आर० शीवा शंकर)
सहायक निदेशक

प्रति सूचनार्थ:

1. सचिव (कृषि एवं सहकारिता) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. प्रधान सलाहकार के प्रधान निजी सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. आर्थिक एवं सांख्यिकी सलाहकार के निजी सचिव, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. संयुक्त सचिव (सहकारिता), कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. आर्थिक सलाहकार (एफई), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. आर्थिक सलाहकार (समन्वय प्रभाग), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
7. तकनीकी अधिकारी, NIC कृषि भवन, नई दिल्ली

5/2/2015

(आर० शीवा शंकर)
सहायक निदेशक

कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में 2015-16 मौसम के लिए कच्चा पटसन हेतु मूल्य नीति पर की गई गैर मूल्य सिफारिशें

क्र.सं.	सिफारिश
1.	पटसन की प्रभावी सरकारी खरीद विशेषकर दूर दराज के इलाकों में स्थापित अपर्याप्त विभागीय सरकारी खरीद केन्द्रों (डीपीसी) के कारण बाधित है। आयोग यह सिफारिश करता है कि इन दूर दराज के क्षेत्रों में अतिरिक्त विभागीय सरकारी खरीद केन्द्र स्थापित किए जाएं ताकि किसान अपने खेतों के नजदीक ही सही मूल्य प्राप्त कर सकें।
2.	देश में पारम्परिक सड़क के किनारों गड्ढों एवं तालाबों में रेटिंग की जगह आधुनिक रेटिंग टैंकों तथा डीकोर्टीकेटर के उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। सरकार से अपेक्षा है कि वह एक ऐसी योजना तैयार करें जिसके तहत रेटिंग तालाबों और डीकोर्टीकेटर को बड़े पैमाने पर प्रदान किया जाए। इससे कृषकों की कार्यशैली में सुधार होगा, श्रमिक लागतों में कटौती होगी तथा रेशे की गुणवत्ता में सुधार होगा और संचालनों की गति में बढ़ोत्तरी होगी। श्रम उत्पादकता में बढ़ोत्तरी तथा गुणवत्ता में सुधार से भारतीय कपास की प्रतिस्पर्द्धात्मकता के सुधार में सहायता मिलेगी।
3.	जिलेवार विश्लेषण यह दर्शाता है कि कुछ जिले नामतः बोंगाईगांव (असम), किसनगंज (बिहार) और हुगली (पश्चिम बंगाल) अपने राज्यों के औसत से काफी अधिक उत्पादकता का स्तर रखते हैं। ये जिले प्राकृतिक सम्पन्नता के अर्थों में कुछ श्रेष्ठता रखते होंगे तथा कुछ विभिन्न कृषि पद्धतियों का अनुसरण कर रहे होंगे जिसको अलग से पता लगाने की जरूरत है। भूमि के सर्वोत्कृष्ट उपयोग की पृष्ठभूमि में, इन जिलों का अत्यधिक विस्तृत अध्ययन आवश्यक है ताकि इन जिलों में कृषि कार्यप्रणाली और मशीनरी (डिकोर्टिकेटर्स आदि) के उपयोग को उनकी अनुकूलता एवं अन्य तकनीकी बाध्यताओं को ध्यान में रखकर अन्य जिलों में प्रचारित/अनुसरण किया जा सके। यह उत्पादकता स्तरों को बढ़ाने में काफी सहायक होगा तथा लागत को नियंत्रित करेगा।
4.	इस समय, जे.पी.एम. अधिनियम, 1987 के प्रावधानानुसार 90 प्रतिशत खाद्यान्न तथा 20 प्रतिशत चीनी को आवश्यक रूप से पटसन के बोरों में पैक किया जाना चाहिए। यह प्रावधान पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण और उत्पादन के विविधीकरण को हतोत्साहित करता है। अतः इसे खाद्यान्न क्षेत्र में 75 प्रतिशत तक कम करके तथा चीनी क्षेत्र को आवश्यक पैकेजिंग से पूरी तरह से मुक्त किया जाना चाहिए। उच्च मूल्य उत्पाद की ओर विविधिकरण के लिए एक संयुक्त प्रयास को प्राथमिकता से बढ़ाना चाहिए। पटसन क्षेत्र के आधुनिकीकरण और उत्पाद विविधीकरण द्वारा उच्च मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि मध्यम से दीर्घावधि में वृद्धि लाई जा सके।

****

5 का पृष्ठ...5